न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 222/19

छोटा लाल आत्मज कल्याण जाति लोधा निवीस लीलेडा चारणान तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. ओम आत्मज नाथू जाति ब्रह्मण निवासी लीलेडा चारणान (बरूंधन चौराहा) तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. तहसीलदार, तालेडा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री अशोक गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक रेस्पोडेन्टगण की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 09.09.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.06.2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 199 एवं 209 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया किया कि वादी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की भमि खसरा नम्बर 587/430 रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम लीलेडा चारणान तहसील तालेडा जिला बून्दी में स्थित है । उक्त भूभि का वादी तन्हा खातेदार स्वामी है । प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है । प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी पर कब्जा करने की नियत से पत्थर डालने पर आमादा हैं । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वे प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करे ।

3. अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादी वादी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 587/430 रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा पर जबरन कब्जा नहीं करे, निर्माण कार्य नहीं करे वादी के उपयोग उपभोग में बाधा नहीं डाले उक्त कार्य न तो स्वयं करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादी कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में से कुल साढे छः बीधा भूमि पूर्व में तत्कालीन खातेदार कल्याण आत्मज लालू लोधा व उसक पुत्र छोटूलाल द्वारा दिनांक 02.04.92 को बंशीलाल आत्मज रामसिंह व उसके पुत्र को बेचान कर बेचानशुदा भूमि का कब्जा संभला दिया । तद्उपरान्त उक्त भूमि बंशीलाल से प्रतिवादी ओमप्रकाश द्वारा दिनांक 28.06.1993 को क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया गया था तभी से प्रतिवादी उक्त भूमि पर काबिज चला आ रहा है । उक्त भूमि वादी के कब्जे काश्त में नहीं है । वादी ने उक्त भूमि जो उसके कब्जे काश्त में नहीं है पर प्रतिवादी के विरूद्ध धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है । स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत करने की मियाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तृतीय परिशिष्ट के अन्तर्गत तीन वर्ष निर्धारित है । तीन वर्ष की मियाद वर्ष 1996 में ही पूरी हो चुकी थी ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद प्रकरटतः ही निरस्त किये जाने योग्य है । अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकसर किया जाकर वादी का वाद खारिज फरमाया जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.06.2019 के द्वारा प्रतिवादी कम 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वादी का वाद खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.06.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादी ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना तनकीयात बनाये सरसरी तौर से खारिज कर दिया । मियाद का बिन्दु साक्ष्य का मोहताज है तथा बिन साक्ष्य लिए तथा बिना तनकीयात निर्णित नहीं किया जा सकता लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने गैर कानूनी रूप से निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.06.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट के कब्जे एवं काश्त की कृषि आराजी खसरा नम्बर 587/430 रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा ग्राम लीलेडा चारणान तहसील तालेडा तहसील बून्दी में स्थित है । उक्त भूमि के अपीलान्ट रिकॉर्डेड खातेदार हैं । अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट के खिलाफ धारा 188 के तहत दावा पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के आधार पर खारिज किया है । जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर साक्ष्य

के आधार ही निर्णय पारित किया जा सकता है । आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र में मियाद के बिन्दु पर निर्णय पारित नहीं किया जा सकता । गलत रूप से अवधि–बाधित माना है दावे में यह कभी भी यह अंकित नहीं है कि वादकारण 03 वर्ष पूर्व उत्पन्न हुआ था । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.06.2019 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2012 (1) पेज 358, डीएनजे 2019 (राज0) पेज 839, डीएनजे 2017 (1) पेज 136, आरआरडी 2012 (1) पेज 358 उद्धरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दाव पेश किया है जबकि अपीलान्ट का उस पर कब्जा नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है । अपीलान्ट सन् 1993 में ही वादग्रस्त आराजी का बेचान कर चुके हैं और उनका कब्जा नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.06.2019 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2012 पेज 536 उद्धरत की ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी के द्वारा एक वाद स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था इस दावे में रेस्पोडेन्ट की ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पेश कर यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी तत्कालीन खातेदार के द्वारा बंशीलाल को बेचान कर कब्जा संभला दिया था उसके उपरान्त बंशीलाल ने प्रतिवादी ओमप्रकाश को सन् 1993 में विक्रय कर कब्जा संभला दिया । इस आराजी में सन् 1993 से वादी का कब्जा नहीं है उनका दावा चलने योग्य नहीं है । अतः दावा खारिज फरमाया जावे ।

11. अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दावा खारिज किया है । वादी वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक हैं और उनके द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है । स्थायी निषेधाज्ञा का दावा वादी के द्वारा कभी भी पेश किया जा सकता है इसके लिए कोई समय सीमा नहीं होती है और वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा है अथवा नहीं यह साक्ष्य के उपरान्त ही तय हो सकता है, प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र के आधार पर नहीं । आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय दावे में अंकित तथ्यों का ही अवलोकन किया जा सकता है ।

12. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा इकरारनामा के आधार पर वादग्रस्त आराजी को क्रय करना बताया है जो कि अपंजीकृत है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि – विरूद्ध रूप से प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर दावा वादी खारिज किया है । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरटी 2012 (1) पेज 358, डीएनजे 2019 (राज0) पेज 839, डीएनजे 2017 (1) पेज 136, आरआरडी 2012 (1) पेज 358 यहॉ चस्पा होती है ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.06.2019 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण से

जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 04.11.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 09.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

9/9/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा